रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465] नई दिल्ली, बुधवार, मई 10, 2006/वैशाख 20, 1928
No. 465] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 10, 2006/VAISAKHA 20, 1928

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद् के लिए सेवा शर्तें

क्र.ए-11011/1/2005-प्रशा.I (खण्ड-IV) नई दिल्ली, दिनांक : 8 मई, 2006

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग स्थापित करने संबंधी भारत सरकार के संकल्प सं.ए-11011/1/2005-प्रशा.-I, दिनांक 01 जून 2005 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद् के लिए सेवा शर्तों का अनुमोदन करते हैं।

2. **परिभाषा:-** इन सेवा शर्तों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "सरकार" से तात्पर्य भारत सरकार से है ;
(ख) "आयोग" से तात्पर्य राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग है ;
(ग) "अध्यक्ष" से तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है ;
(घ) "सदस्य" से तात्पर्य कमीशन के अध्यक्ष तथा पदेन सदस्यों के अलावा कमीशन के अन्य सदस्य से है ;
(ङ) "संकल्प" से भारत सरकार का संकल्प सं.ए-11011/1/2005-प्रशासन-I दिनांक 01 जून 2005 अभिप्रेत है से तात्पर्य कमीशन के अध्यक्ष तथा पदेन सदस्यों के अलावा कमीशन के अन्य सदस्य से है ;
(च) "सर्च समिति" से अभिप्राय सरकार द्वारा संकल्प के खण्ड 3 के तहत अनुमोदित समिति से है।

3. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, कार्य-अवधि तथा सेवा शर्तें

3.1 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को इस उद्देश्य हेतु सम्यक रूप से गठित एक सर्च कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा । आयोग के अध्यक्ष और सदस्य क्रमशः अल्प-कालिक अध्यक्ष और सदस्य होंगे ।

3.2 अध्यक्ष एक प्रख्यात सांख्यिकीविद् या समाज विज्ञानी और समकालीन सामाजिक, सांख्यिकीय और आर्थिक विकास सबंद्ध विषयों के मात्रात्मक तकनीक के महत्वपूर्ण प्रयोग और वैज्ञानिक पद्धति के अनुप्रयोग में संलग्न शिक्षा शाखा में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा ।

3.3 चार अल्प-कालिक सदस्य होगें, प्रत्येक निम्नलिखित क्षेत्र में विशेषज्ञता और अनुभव रखते हो-

(i) कृषि, उद्योग, अवसंरचना, व्यापार या वित्त जैसे क्षेत्रों में अर्थ सांख्यिकी
(ii) जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और रोजगार या पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सामाजिक और पर्यावरण सांख्यिकी
(iii) जनगणना, सर्वेक्षण, सांख्यिकीय आसूचना प्रणाली या आसूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सांख्यिकीय कार्य
(iv) राष्ट्रीय लेखा, सांख्यिकीय मॉडलिंग या राज्य सांख्यिकीय प्रणाली ।

3.4 सर्च कमेटी विशेषज्ञता के उपरोक्त क्षेत्रों के प्रत्येक में अध्यक्ष के रुप में चुने जाने के लिए तीन व्यक्तियों के नामों तथा सदस्य के रुप में चुने जाने के लिए प्रत्येक दो व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी । सरकार सर्च कमेटी द्वारा सिफारिश किए गए पेनलों में से अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करेगी ।

3.5 अध्यक्ष की कार्य अवधि तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, की होगी । सभी सदस्यों (पदेन सदस्यों के अलावा) की कार्य अवधि तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की होगी । तथापि, उसने नियुक्ति के समय पर 55 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो । अध्यक्ष और सदस्यों को केवल एक अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा तथा पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे । तथापि सदस्य अध्यक्ष के रुप में नियुक्ति हेतु पात्र हैं ।

3.6 यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या अध्यक्ष किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं या अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ हैं, तो उन कार्यों का ऐसे दूसरे सदस्य द्वारा निर्वहन किया जाएगा जिसके लिए सरकार निदेश देगी, जब तक कि नये अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण न कर लें या वर्तमान अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनर्ग्रहण न कर लें ।

3.7 सर्च कमेटी में किसी रिक्ति मात्र के कारण अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति अवैध नहीं होगी ।

3.8 आयोग के अध्यक्ष का स्तर राज्य मंत्री के स्तर का होगा तथा सदस्यों का स्तर सरकार के सचिव के स्तर का होगा ।

3.9 अध्यक्ष 10,000/-रुपये प्रतिमाह के मानदेय के हकदार होंगे । पदेन सदस्यों को छोड़कर, प्रत्येक सदस्य 7,500/-रुपये प्रतिमाह के मानदेय के हकदार होंगे ।

3.10 अन्यथा कहीं पर उल्लेख होते हुए भी, यदि आयोग का कोई सदस्य संसद या किसी राज्य विधानसभा का सदस्य हो तो वह संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में निर्धारित भत्तों के अलावा किसी परिश्रमिक या जैसा कि मामला हो राज्य विधान सभा की सदस्यता हेतु अयोग्यता निवारण से संबंधित राज्य में लागू किसी कानून के अंतर्गत राज्य विधान सभा के सदस्य के लिए निर्धारित भत्तों, यदि कोई हो, के अलावा किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा ।

3.11 आयोग के कार्य के संबंध में यात्रा करने के लिए अध्यक्ष तथा सदस्यगण एक्जीक्यूटिव श्रेणी में हवाई यात्रा या वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में रेल द्वारा यात्रा करने के योग्य होंगे । वे आयोग के कार्य के लिए अपने निवास स्थान से बाहर यात्रा करने पर कमरे के किराए एवं दैनिक भत्ते के भी हकदार होंगे । कमरे का किराया एवं दैनिक भत्ता निम्न प्रकार ग्राह्य होगा :-

(i) किसी भी सरकारी गेस्ट हाऊस अथवा आईटीडीसी के मंझोले होटल जैसे- लोधी होटल, कुतुब होटल, जनपथ होटल, अशोक यात्री निवास अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित टूरिस्ट होटल अथवा भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र तथा इंडिया हैबिटेट सेंटर जैसी पंजीकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त निवासी आवास में एक कमरे के किराए की प्रतिपूर्ति ।

(ii) सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक निजी लॉज/होटल में ठहरने के लिए कमरे का किराया ।

(iii) भोजन की व्यवस्था के लिए सरकार के सचिव को यथा ग्राह्य दैनिक भत्ते की साधारण दर के 90% की दर से दैनिक भत्ता ।

(iv) आयोग के कार्यों के निपटान के लिए स्थानीय यात्रा हेतु परिवहन अथवा परिवहन शुल्क ।

3.12 अध्यक्ष एवं सदस्य सरकार के सचिव यथा ग्राह्य अपने निवास पर दूरभाष के बिल संबंधी प्रतिपूर्ति के लिए भी हकदार होंगे ।

3.13 अध्यक्ष एवं कोई भी अन्य सदस्य अपने हाथ से लिखित सूचना द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है ।

3.14 अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकेगा जब राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किये जाने पर संविधान के अनुच्छेद 145 के खण्ड (1) के उपखण्ड (i) में विनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच के उपरांत सर्वोच्च न्यायालय यह रिपोर्ट दे कि ऐसे किसी आधार पर अध्यक्ष/सदस्य को हटाया जाना चाहिए ।

3.15 राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से निलंबित कर सकता है जिसके संबंध में इस नियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ भेजा गया है जब तक कि ऐसे संदर्भ पर सर्वोच्च् न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राष्ट्रपति ने आदेश पारित कर दिया है ।

3.16 खण्ड 3.13 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, आदेश द्वारा अध्यक्ष अथवा सदस्य को पद से हटा सकते हैं, यदि वे :-

(क) न्यायनिर्णीत दिवालिया हैं;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए उन पर दोष सिद्ध होता है और उन्हें कारावास होता है, जो राष्ट्रपति के मत से नैतिक अधमता का द्योतक है; अथवा

(ग) वे राष्ट्रपति के मत से, मासिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य हैं; अथवा

(घ) यदि राष्ट्रपति के मत से, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है जिसके कारण व्यक्ति का पद पर बने रहना सांख्यिकीय प्रणाली के हितों के लिए हानिकारक होगा; अथवा

(ड.) वे अनुन्मोचित ऋणशोधक्षम बन जाते हैं; और

(च) कार्य करने से मना करते हैं अथवा कार्य करने में अक्षम हैं

परंतु अध्यक्ष/सदस्य को इस खंड के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि मामले में उन्हें सुने जाने का उचित अवसर नहीं दिया जाता ।

4. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की नियुक्ति, कार्यावधि, और सेवा शर्तें ।

4.1 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्, आयोग के सचिव होंगे । वे राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन के अध्यक्ष भी होंगे और सांख्यिकी विभाग में सचिव, भारत सरकार के कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

4.2 सर्च कमेटी, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के पद के लिए दो व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगी, जिनमें से भारत सरकार एक व्यक्ति को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् नियुक्त करेगी । किसी बड़े सांख्यिकीय संगठन में सांख्यिकीय और प्रबंधकीय अनुभव वाले व्यक्तियों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा ।

4.3 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की कार्यावधि पांच वर्ष अथवा बासठ वर्ष की आयु होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, की होगी । भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे और नियुक्ति के समय उनकी आयु 52 वर्ष की होनी चाहिए ।

4.4 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् भारत सरकार के सचिव के वेतन एवं भत्तों के पात्र होंगे । वे सरकारी आवास, टेलीफोन, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य उन सभी सुविधाओं के पात्र होंगे जो भारत सरकार के सचिव के लिए हैं ।

4.5 जहां किसी ऐसे व्यक्ति को भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी अथवा किसी अन्य संस्थान या स्वायत्त निकाय का सेवानिवृत्त कर्मचारी हो और किसी भी पहली सेवा से संबंधित पेंशन प्राप्त करता हो, तो उस पेंशन की राशि और यदि उन्होंने पेंशन के एक भाग के बदले उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया है, तो उसे इन नियमों के अधीन ग्राह्य वेतन में से घटा दिया जाएगा ।

(अ.कु.सक्सेना)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

Service Conditions for Chairperson and Members of the National Statistical Commission and Chief Statistician of India

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2006

No. A-11011/1/2005-Ad-I - In pursuance of the Government of India Resolution No.A-11011/1/2005-Ad. I. dated 1st June, 2005 regarding setting up of the National Statistical Commission, the Competent Authority hereby approves the service conditions for

Chairperson and Members of the National Statistical Commission and Chief Statistician of India.

2. Definition- In these Service conditions, unless the context otherwise requires,

(a) "Government" means the Government of India;
(b) "Commission" means the National Statistical Commission;
(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Commission;
(d) "Member" means a Member of the Commission other than the Chairperson and the ex-officio Members of the Commission;
(e) "Resolution" means the Government of India Resolution No. A-11011/1/2005 - Ad-I, dated 1st June, 2005;
(f) "Search Committee" means the Committee approved by the Government under Clause 3 of the Resolution.

3. Appointment, Tenure and Service Conditions of the Chairperson and Members

3.1 The Chairperson and Members of the National Statistical Commission will be appointed by the Government on the basis of the recommendations of a Search Committee duly constituted for the purpose. The Chairperson and Members of the Commission will be part-time Chairperson and Members respectively.

3.2 The Chairperson has to be an outstanding statistician or social scientist and a person of eminence in an academic discipline involving application of scientific methods and significant use of quantitative techniques to contemporary social, statistical and economic development related subjects.

3.3 There will be four part time members, one each from the following fields having specialisation and experience in

(i) Economic statistics in such areas as agriculture, industry, infrastructure, trade or finance
(ii) Social and environment statistics in such areas as population, health, education, labour and employment or environment
(iii) Statistical operations in such areas as censuses, surveys, statistical information system or information technology
(iv) National accounts, statistical modeling or state statistical systems.

3.4 The Search Committee shall recommend names of three persons for selection as Chairperson and names of *two* persons each for selection as Member in each of the above areas of specialization. The Government shall appoint Chairperson and Members out of the panels recommended by the Search Committee.

3.5 The tenure of the Chairperson will be three years or till he/she attains the age of seventy years, whichever is earlier. The tenure of all the Members (other than the ex-officio Members) will be three years or till he/she attains the age of sixty five years.